राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय तल, राजीव गाँधी विद्या भवन,
डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
E-Mail : rajssamonitoring@yahoo.com फोन नं. 0141–2705490, फैक्स नं. 0141–2701822

क्रमांक : रा. स्कूल शिक्षा परिषद / जय / मॉनीटरिंग / 2018–19 / 8057 दिनांक :– 30/10/18

अत्यावश्यक

निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
बीकानेर।
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
बीकानेर।

विषयः– Inter School Band Competition.
संदर्भ– संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के का अर्द्ध शासकीय पत्रांक 11–26 / 2018 –I.S.10 (Coord.) दिनांक 25.10.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,भारत सरकार द्वारा 2017 से Inter School Band Competition शुरू किया गया है। इस साल इंटर स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता देश भर में 6 जोनो में आयोजित किया जाएगा, इसके बाद गणतंत्र दिवस 2019 समारोह से पहले नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा होगी। स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता विद्यार्थियों में एकता, देश–भक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगी।

इसके तहत नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पूर्व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। यह प्रतियोगिता तीन स्तरों राष्ट्रीय, राज्य एवं जोनल स्तर पर मनाई जायेगी। यह प्रतियोगिता सभी श्रेणियों के विद्यालयों के लिये होगी। जीतने वाली टीम को 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

राज्य स्तर पर चयनित दो टीमों को जोनल लेवल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विजेता टीम को नगद पुरस्कार दिया जायेगा। राष्ट्रीय एवं जोनल स्तर पर आयोजित स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता का व्यय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य स्तर की प्रतियोगिता का व्यय संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। प्रत्येक जोन से चयनित दोनों टीमों की राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता करवाई जायेगी। विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथी 05 नवम्बर 2018 है।

अतः स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता के दिशा निर्देश एवं समय सारणी संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.राजेश शर्मा)
आयुक्त

www.rajteachers.com

क्रमांक : राप्राशिप / जय / मॉनीटरिंग / 2018–19 / 8058 दिनांक : 30/10/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान,समस्त जिलो को प्रेषित कर लेख है कि दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक

D/sadhana/u.o.note